रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1993/फाल्गुन 5, 1914
No. 111] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1993/PHALGUNA 5, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1993

का आ 124(अ) —केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में,—

(क) प्ररूप 2क, 2ख, 2ग, 2घ और 2ङ में,
"पिता/पति का नाम" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते है,
"पिता/माता/पति का नाम" शब्द रखे जायेंगे,

(ख) प्ररूप 3क, 3ख, 3ग और 4 में "पिता/पति" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "पिता/माता/पति" शब्द रखे जायेंगे।

[फा.सं. 7(50)/92-विधायी II]
पी.एल. सकरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 1993

S. O. 124(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Election Rules, 1961,—

(a) in Forms 2-A, 2-B, 2-C, 2-D and 2-E for the words "father's/husband's name", wherever they occur, the words "father's/monther's/husband's name" shall be substituted ;

(b) in Forms 3-A, 3-B, 3-C, and 4, for the words "father/husband", wherever they occur, the words "father/mother/husband" shall be substituted.

[F. No. 7(50)/92-Leg. II]
P. L. SAKARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993